अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर।

पत्रांक 1422

मुज0 / दिनांक 03/10/2024

प्रेषक,

ई0 देवनाथ प्रसाद,
अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–2।

विषय– शीर्ष MMGSY (SC) योजना अंतर्गत, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–2 के अधीन **Chauta me Kilash Singh ke Mill to Yojana Bandh Tak (Tender Id-135139)** पथ निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

शीर्ष MMGSY (SC) योजना अंतर्गत, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–2 के अधीन **Chauta me Kilash Singh ke Mill to Yojana Bandh Tak (Tender Id-135139)** कार्य के वित्तीय बीड में सफल निविदाकार **Vidyanand Kumar (Bid Id-587053)** के उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र के दर से 30.00 प्रतिशत कम है पर कुल राशि रू0 23,29,188/– (तेईस लाख उन्तीस हजार एक सौ अठासी रुपये) मात्र की लागत पर यह कार्य आवंटित किया जाता है।

2. क्रमांक 1 में अंकित राशि निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य की सम्मिलित राशि है। अनुमोदित परिमाण विपत्र से इसका मिलान कर गणना के पश्चात ही कार्यपालक अभियंता एकरारनामा की कार्रवाई करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को देंगे। निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है जो भविष्य में पूर्वोद्‌दाहरण नहीं होगा।
3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–2 संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0 / पासबुक / फिक्स डिपोजिट / बैंक गारन्टी आदि का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. कार्य का निष्पादन MMGSY योजना अंतर्गत मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जाएगा।
5. इस कार्य का व्यय MMGSY योजना से मिलने वाली राशि के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।
6. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करनेवाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अतिरिक्त वांछित **परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि** जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
7. उक्त निविदादाता से अद्यतन आयकर, GST स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन स्वच्छता प्रमाण पत्र, EPF, पार्टनर–शीप डीड मूल मे प्राप्त कर तथा डिवार / कालीकृत का जॉचोपरान्त, नाम नहीं रहने पर ही एकरारनामा की कार्रवाई की जाय।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एवं संवेदक से कार्य प्रोग्राम एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोडकर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जाएगा।
9. कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि संवेदक से एकरारित अवधि के अंदर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।
10. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।
11. अग्रधन एवं जमानत के रूप में जमा राशि जो कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त की गयी है, का सत्यापन संबंधित डाकघर से कराकर एवं स्वयं आश्वस्त होकर ही एकरारनामा करेंगे।

कृ0पृ0उ0

12 अनुमादित राशि में सभी प्रकार के करों की कटौती की राशि सम्मिलित है।

13 कार्यपालक अभियंता पत्र प्राप्ति के तीन दिनो के अन्दर संवेदक को कार्यारम्भ करने हेतु पत्र निर्गत करेंगे। साथ ही पत्र में स्पष्ट रूप से संवेदक को निदेशित करेंगें कि पत्र निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अंदर अगर संवेदक एकरारनामा नही करेंगे तो उनका निविदा रद्द कर उनके इस कार्य में जमा अग्रधन की राशि जब्त करते हुए अन्य निविदादाता को कार्य आवंटन के संबंध में कार्रवाई की जायगी या इस कार्य के लिये पुनः निविदा मांगी जायेगी। निविदा रद्द करने तथा अग्रधन की राशि जब्त करने की सूचना कार्यपालक अभियंता इस कार्यालय को देंगे।

14 अधोहस्ताक्षरी के पूर्वानुमति के बिना कार्य की मात्रा अथवा राशि मे किसी प्रकार की बढोतरी नही की जायगी।

15 नियमानुसार एकरारनामा की प्रतियाँ स्वीकृत्यादेश हेतु सात दिनों के अंदर इस कार्यालय में समर्पित करेंगे।

16 कार्य में व्यवहृत सामग्रियो का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमे कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जाएगी।

17 सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

18 एकरारनामा से पहले निविदादाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान करेंगे।

19 कार्यपालक अभियंता या उनके प्राधिकृत अभियंता स्थल आदेश पुस्तिका पर विस्तृत आदेश देते हुए कार्य करायेंगे जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को देंगे।

20 पथ सामग्रियो की आपूर्ति कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्धारित उचित स्टैक (थाक) में ली जाएगी जिसका उपयोग कार्यपालक अभियंता के जाँच एवं निर्गत आदेश के उपरान्त ही होगी।

21 किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

22 कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेगें तथा इस कार्यालय को सूचित करेगें।

23 किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

24 प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

25 इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

26 प्रत्येक आवंटन अधियाचना के पूर्व संवेदक को उनके द्वारा निष्पादित कार्यो का अपने अभियंता से मदवार मापी कराकर उनके हस्ताक्षर सहित विपत्र, गुणवत्ता जॉच फल एवं संपादित कार्यो के फोटोग्राफ के साथ प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा।

27 कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–2 को निदेशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक–मु0अ0–4(मु0) विविध–23–291/2014–131 पटना दिनांक–13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के भीतर Letter Of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत करें। संवेदक के चरित्र प्रमाण–पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–489 अनु0 दिनांक–28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

03/10/24

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल मुजफ्फरपुर।

03/10/24